Total Printed Page : 8 Roll No…….

DRTI-103

Judiciary and Important Legislatures Effecting RTI

Diploma in Right to Information (DRTI-17)

2nd Semester, Examination-2019

Time : 3 Hours **Max. Marks : 80**

Note:- This paper is of Eighty (80) marks divided into three (03) Section A, B and C. Attempt the question contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

uksV%& यह प्रश्न–पत्र अस्सी (80) अंकों का है जो तीन (03) खण्डों क, ख तथा ग में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section-A ¼[k.M&d½

(Long Answer Type Question) ¼nh?kZ mÙkjh; iz'u½

Note:- Section 'A' contains four (04) long-answer-type questions of Nineteen (19) marks each. Learners are required to answer any two (02) questions only. **(2×19=38)**

ukV% खण्ड 'क' में चार (04) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए उन्नीस (19) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल दो (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Discuss the salient features of right to information Act, 2005.
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

2. Discuss in detail the important verdicts of Supreme Court on right to information.
सूचना के अधिकार सम्बंधी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य निर्णयों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।

3. Discuss in Supreme Court guidelines and laws relating to the protection of RTI activists.
सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सम्बंधी विधियों एवं सुप्रीम कोर्ट के दिया निर्देशों का वर्णन कीजिए।

4. What are the main objectives of the official secrets Act, 1923. Also discuss the salient features of public records act, 1993.

अधिकारिक गुप्त अधिनियम, 1923 के मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक रिकार्ड अधिनियम, 1993 की मुख्य विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए।

Section-B ¼[k.M&[k½

(Short Answer Type Question)@¼y?kq mÙkjk; okys iz'u½

Note:- Section ‘B’ contains eight (08) short answer type questions of eight (08) marks each. Learners are required to answer any four (04) questions only.

(4×8=32)

ukV%& खण्ड ‘ख’ में आठ (08) लघु उत्तरों वाले प्रश्न दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आठ (08) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल चार (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Right to information springs from the freedom of speech and expression provided in the constitution of India. Discuss.

सूचना का अधिकार का स्त्रोत भारत के संविधान में दिये गए भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार में है। वर्णन कीजिए।

2. Discuss the important decisions of various High Courts relating to right to information.
सूचना के अधिकार सम्बंधी विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य निर्णयों का वर्णन कीजिए।

3. State the punishments provided under official secrets Act, 1923.
आधिकारिक गुप्त अधिनियम, 1923 को दी गई सजांए बताइयें।

4. State some of the leading cases decided by the Information commission on various matters relating to night to information.
सूचना के अधिकार सम्बंधी मामलों पर राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत कुछ वादों का वर्णन कीजिए।

5. Several informations are exempted from disclosure as provide under RTI Act. Discuss the approach of Supreme Court in relation to the same.
सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कई सूचनांए प्रकटीकरण से मुक्त हैं। इस सम्बंध में उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण बताइये।

6. Write short note on the citizen`s right to vote.
नागरिकों के वोट देने के अधिकार पर लेख लिखिए।

7. The right to information is an effective tool for bringing good governance. Discuss with the aid of decided cases.
सूचना का अधिकार सुशासन लाने के लिए एक प्रभावी साधन है। निर्णीतवादों की सहायता से वर्णन कीजिए।

8. Grievances or claims are not information for the purpose of RTI Act. Discuss with the help of decisions of the commissions.
शिकायतें एवं दावे सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सूचनांए नहीं है। आयोग के द्वारा निर्णीत वादों द्वारा वर्णन कीजिए।

Section-C ¼[k.M&x½

(Objective Type Questions) / (oLrfu"B i'u)

Note:- Section 'C' contains ten (10) objective type questions of One (01) marks each. All the questions of this section are compulsory. **(10×1=10)**

नोटः- खण्ड 'ग' में दस (10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक (01) अंक निर्धारित हैं। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Fill in the Blanks / रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. The Supreme Court has granted right to information a constitutional status via interpretation of Article _____ of the constitution.
   उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद..... की व्याख्या द्वारा दिया है।

2. In the landmark care of state of UP V. Raj Narain the Supreme Court held that the right to information flows from the freedom of _____.
   उत्तर प्रदेश वी. राज नारायण के एतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया कि सूचना का अधिकार .....की स्वतंत्रता से निकलता है।

3. Personal information is exempted from disclosure under section _____ of the RTI Act.
   सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा .....के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूचना प्रकटीकरण से मुक्त है।

4. The procedure prescribed under section _____ of RTI Act, 2005 is to be followed where the information is confidential.

जब सूचना गुप्त/गोपनीय हो तो सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा .....मे दी गई प्रक्रिया अपनाई जाती है।

5. Under Section_____ of he RTI Act, 2005 the Chief Information commissioner (CIC) may penalize the defaulting Public Information Officer (PIO).

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा .... के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त दोषी लोक सूचना अधिकारी को दण्डित कर सकता है।

Point out whether the following statement are True or False.

निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य इंगित कीजिए।

6. A Company is not entitled to claim right to information under the RTI Act. (True/False)

सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक कम्पनी सूचना के अधिकार की माँग करने की हकदार नहीं है। (सत्य/असत्य)

7. The Non-Government Organisations (NGOS) which are substantially financed by the Government are not public authorities under the RTI Act.
सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित (गैर सरकारी संगठन) सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक / लोक प्राधिकरण नहीं हैं।

8. A central university is not a public authority as per the right to information act.
सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय लोक प्राधिकरण नहीं है।

9. Right to information is not absolute.
सूचना का अधिकार आत्यातिक नहीं है।

10. The Official secrets act was first enacted in 1923 and was retained after independence.
आधिकारिक गुप्त अधिनियम सर्वप्रथम 1923 में पारित किया गया और स्वतंत्रता के बाद भी बरकरार रखा गया।

*****